

कार्यालय

राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश तकनीकी

संख्या- प्रावि/परिषद सम्बद्धता/2021/3657

तारखतः दिनांक 09/08/2021

-कार्यालय जायः-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/गार्मिंसी काउन्सिल ऑफ इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा संविदा संख्या 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उद्देश्य प्राविधिक शिक्षा परिषद (उप) उत्तर प्रदेश के सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिती की बैठक सत्र हुई। बैठक में सभिते द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अर्जित नई संस्थाओं की सम्बद्धता पूर्व में सार्वजनिक संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्राप्त करने प्रयोग इच्छा किये सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में शिरोमणि निर्णय के अनुसार ही निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद (उप) उत्तर प्रदेश द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1042-B D COLLEGE OF SCIENCES GANIYAWALI ROAD, ATRAULI, ALIGARH-202200

संस्था	पाठ्यक्रम का नाम	एडमिशन/सीटों/सीटों/वीसीटी/आई/सी/आई/आई/आई द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एडमिशन/सीटों/सीटों/वीसीटी/आई/सी/आई/आई/आई द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्ण पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982, सेमेस्टर विनियमवली-2015 तथा अन्य निर्धारित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा सालिक विनिर्माण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय शर्तों पर 20150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु 20-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (उ) कॉमि फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त हेतु 20-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के संबंध में संबंध-समय पर सलस द्वारा निर्गत किये जाने वाले सामनादेशों प्रभवाणी होने, और अनुसूचित किशोर/किशोरी विद्यालयों को प्राथमिकता होगी। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का निर्धारण किया जाता है, तो फीस को नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (उप) प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों संस्थाओं को सम्बद्ध किया (अनंत) विनियमवली-2009 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परीक्षा द्वारा आर्जित सभी को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के विस्तार के जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्दिष्ट सामनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

- ✓ संस्था को 00-भाई0सी0टी0आई0पी0सी0आई0 से आगामी वर्ष हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाने वाले विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनदोषों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा बनाने वाले नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ क्वालीटी इन गारंटी पाठ्यक्रम को संस्थाएं यदि भी सी.आई. आई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तराखण्ड संस्था का होगा और विविध रूप से किसी भी कार्यपालकों के लिये संस्था अपने उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई नोट दायर किया जाता है तथा उत्तर नोट के संबंध में मा. निदेशालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ क्वालीटी इन गारंटी पाठ्यक्रम संवाहित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (आउन्सिलिंग के माध्यम से) अथवा संस्था द्वारा परीक्षा प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत न्यूनतम आवश्यक नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सुनवाई जैसे संस्था की इतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, स्टाफ संख्या, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला सुनवाई, छात्रवृत्त सुनवाई आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को विचार-परिष्कार हेतु उपयुक्त बालाकरण उपलब्ध कराने के साथ रेगुलर बैठक के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संवाहित पाठ्यक्रम को बनाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध करावे उसे अभिलेख भूमि-पठन, फ्लोचार्ट, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संवाहित में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपलब्ध का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति को प्राप्ती।
- ✓ संस्था के सार्वजनिक निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साधन-सम्पदा 00-भाई0सी0टी0आई0पी0सी0आई0/परिषद के तालकाबुखार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का पालन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुसूचनाओं का उपयोग की जाएगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पृष्ठ संख्या- प्राविधिक परिषद सम्बद्धता/2021/3539-4009

दिनांक: 09/08/2021

प्राविधिक

प्रधानाचार्य/निदेशक S D COLLEGE OF SCIENCES GANIYAWALI ROAD, ATRAULI, ALIGARH-202280



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव